राजस्थान राज्य से प्राप्त गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्र (QMTs) पर टिप्पणियाँ

तिमाही के तहत सूचना : द्वितीय

वर्ष : 2015-16

राज्य द्वारा भेजा हुआ द्वितीय तिमाही का मॉनिटरिंग प्रपत्र प्राप्त हुआ। राज्य ने क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स में बदलाव कर अपने सन्दर्भ में अलग मॉनिटरिंग प्रपत्र तैयार किया है। इस प्रपत्र में NCERT द्वारा बनाए हुए क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के कई आयाम शामिल है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आंकड़ों पर अधिक ध्यान दिया गया है और गुणात्मक बातों पर कम ध्यान केंद्रित है। SCERT, DPO, DIET, BRC एवं CRC संस्थानों के विषय में कुछ पहलुओं को जोड़ा जा सकता है। तिमाही के अंतर्गत महीनों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा भेजी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं।

- ऐसा लगता है कि जो आंकड़ें विद्यालय स्तर से आरम्भ होते है वही अन्य स्तरों से होते हुए राज्य स्तर तक जुड़ते जाते है। अनेक स्तरों पर मॉनिटरिंग का अर्थ है कि सभी स्तरों पर कुछ नई सूचनाएं जुड़नी चाहिए जो कि गुणात्मक टीका/टिप्पणियाँ हों।
- राज्य द्वारा भेजी गई पिछली तिमाही की रिपोर्ट में विद्यालयों की संख्या 54,331 थी जो कि वर्तमान तिमाही की रिपोर्ट में घटकर 53,694 हो गयी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि कक्षा 6 से कक्षा 10/12 वाले संस्थाओं में कक्षा 6-8 तक एवं कक्षा 1 से कक्षा 10/12 वाले विद्यालयों में कक्षा 1-8 तक मॉनिटरिंग प्रपत्र प्रयोग में आएं जिससे कि उनकी सूचनाएं भी मॉनिटरिंग में जुड़ सके व उन्हें भी फीडबैक दी जा सके।

- राज्य द्वारा दी गयी सूचनाओं से यह ज्ञात हो रहा है कि कुल विद्यालयों में से केवल 46% विद्यालयों में ही सीसीई लागू है। शेष विद्यालयों में सीसीई शुरु करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- सामान्य जानकारी के अंतर्गत उन विद्यालयों की संख्या दी गई है जिनमें 7 जुलाई तक पाठ्य पुस्तकें वितरित हो जाती है। प्रायः पुस्तकें कभी न कभी सभी विद्यालयों में वितरित होती है किन्तु सत्र शुरू होने के कितने समय सीमा के अंदर सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें वितरित कर दी जाती है, यह जानकारी शायद अधिक लाभदायक होगी। 8 % विद्यालयों में निर्धारित अवधि तक पाठ्यपुस्तकें वितरित नहीं हो पाई। इस दिशा में और प्रयास की आवश्यकता है।
- राज्य में 31355 ऐसे विद्यालय बताए गये हैं जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में कार्य नहीं हुआ है अर्थात् लगभग 62 % विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य नहीं हुआ। आर टी ई एक्ट कक्षा 1-8 तक सभी बच्चों की आवश्यक गुणात्मक शिक्षा पर जोर देता है। अत: इस दिशा में और गम्भीरता से सोचने एवँ कार्य करने की आवश्यकता है जिससे कि इन बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।
- बच्चों के लिए सहशैक्षिक गतिविधियाँ एवं खेलकूद की व्यवस्था सम्बंधित जो जानकारी प्रदान की गयी है उससे यह पता चल रहा है कि अभी भी कई विद्यालय ऐसे है जहाँ इनका आयोजन नहीं हो रहा है। छोटे बच्चों के लिए खेलकूद का विशेष महत्व होता है। अतः सभी विद्यालयों में इनकी उपलब्धता पर ध्यान देने की जरूरत है।
- स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या में काफी अंतर है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सर्वोपरि है कि शिक्षकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति हो अन्यथा पठन-पाठन प्रभावित होगा ही।
- पिछली तिमाही की रिपोर्ट के समान ही वर्तमान रिपोर्ट में भी नामाँकन एवं विद्यार्थी उपस्थिति से जुड़ी जो संख्याएँ प्रदान की गई है उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन की संख्याएँ कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक दोनों वर्ग (B एवं G) में बिल्कुल बराबर है। इसे स्पष्ट करने की जरूरत है।
- कुल नामांकन की संख्याओं पर नज़र डालते ही यह मालूम होता है कि कक्षा 1 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में बालक एवं बालिकाओं की नामांकित संख्या पिछले तिमाही की रिपोर्ट की तुलना में घट गयी है।

बच्चों की कम होती हुई संख्या के कारणों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए उसे रोकने की भरपूर कोशिश करने की आवश्यकता है।

- उपस्थिति सम्बंधित आंकड़ों से यह ज्ञात हो रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुत कम बच्चों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से ऊपर है। इसे बढ़ाने के लिए विद्यालयों को कई कदम उठने चाहिए जैसे कि शिक्षक बच्चों के माता पिता से मिलकर समस्या को समझे एवं उसके निदान के लिए प्रयास करे। इस पहल में शिक्षकों कों विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की मदद लेनी चाहिए।
- राज्य में 4295 ऐसे विद्यालय है जिनमे कम उपलब्धि वाले बच्चों के लिए अगल से प्रयास नहीं किए गये। इस प्रकार के बच्चों के हित के लिए समुचित प्रयासों की आवश्यकता है।
- पिछली तिमाही की तुलना में इस रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान में कई सीसीई विद्यालयों में सीसीई सामग्री उपलब्ध कराइ गयी है। यह एक उत्साहित करने वाला कदम है।
- सीसीई विद्यालयों के सन्दर्भ में रिपोर्ट में यह बताया गया है की सीसीई कार्यक्रम लागू होने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में काफी वृद्धि हुई है। यह प्रसन्नता की बात है।
- राज्य में कुल 166772 शिक्षकों ने मूल्यांकन प्रपत्र भरा है जिसमे से 10417 शिक्षकों को संस्था प्रधान ने निम्न ग्रेड दिया है। इससे यह बात निश्चित है कि शिक्षण के क्षेत्र में काफी सुधार करने की गुंजाइश है। इस विषय में शिक्षा विभाग के संबंधित संस्थानों द्वारा संयुक्त प्रयास का प्रारूप बनाने व उसको कार्यान्वयन करने की शीघ्र आवश्यकता है।
- कुल विद्यालयों में से केवल 38591विद्यालय हैं जिनमें आवंटित कालांश में पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता हैं। इस प्रयास को सभी विद्यालयों में किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ राज्य के सभी विद्यालयों में समय विभाग चक्र में प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय हेतु अलग से कालांश रखने की भी जरूरत है। बच्चों द्वारा पुस्तकालय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

- यह सराहनीय है कि 95470 शिक्षकों में से 81583 शिक्षकों ने सीसीई / नवीन पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में दी गई जानकारी से यह भी ज्ञात हो रहा है कि अभी लगभग 31052 ऐसे शिक्षक हैं जिनको सीसीई आधारित शिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु समझ बढ़ाने के लिए और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है। संबंधित अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए।
- दी गयी जानकारी के अनुसार राज्य के विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की स्थिति संतोषजनक प्रदर्शित की गई है। पेयजल की सुविधा 6414 विद्यालयों में नहीं की जा सकी है जिसे शीघ्र करवाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की भी व्यवस्था बचे हुए विद्यालयों में तुरंत करनी चाहिए।
- विद्यालय के समेकित मूल्यांकन से जुड़ी जो जानकारी दी गयी है उससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विभिन्न ग्रेड के तहत जो संख्या दी हुई है क्या वह उस विद्यालय के सभी बच्चों से सम्बंधित है। उदाहरण के लिए - बच्चों के शैक्षिक स्तर में A ग्रेड के 4383 विद्यालय लिखे गए है, तो क्या इन 4383 विद्यालयों में सभी बच्चों का शैक्षिक स्तर A ग्रेड है ?
- राज्य में काफी संख्या में ऐसे विद्यालय है जहाँ और अधिक सुधार के लिए मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। इस विषय का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।